323

संख्या– /XXXVI(1)/2015-23 एक(5)/2005 टी0सी0

प्रेषक,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 24 मार्च, 2015

विषय– जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र सं0–68/XXXVI(1)/2014-23 एक(5)/2005 टी0सी0 दिनांक 12.03.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत में सृजित 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01.03.2015 से दिनांक 29.02.2016 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त पदों का सृजन मूल रूप में शासनादेश सं0–24 एक(5)/छत्तीस(1)/2005–23 एक(5)/2005 दिनांक 09.11.2005 के द्वारा किया गया है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–10–स्थायी लोक अदालत–00'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–1270/76–दस दिनांक 20.07.1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(के0डी0भट्ट)
प्रमुख सचिव

संख्या– 670/XXXVI(1)/ 2015-23 एक(5)/2005 टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\other file\Vividh letter2014.doc